...लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

9/12/2022 तारीख रजू........

अपीला बनाम कस्तुरी

...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना-पत्र 212 RTA वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रा० का दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 18/1/22 को तलब हो। SDO	
18.1.22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। [illegible] आदेश दिनांक 12.1.22 [illegible] पत्रावली में [illegible] वास्ते तलबी दिनांक 07/4/22 [illegible] रजिस्टर्ड [illegible] जारी	
7/4/22	पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी [illegible] रजिस्टर्ड AD लौटी उप० नहीं आये उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते जवाब TL दिनांक 21/4/22 को पेश हो। SDO	
21/4/22	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। श्री देवेन्द्र सिंह [illegible] 09 R 7 CPC मय वकालतनामा पेश किया। [illegible] 09 R 7 CPC पर बहस वकील [illegible] 09 R 7 CPC स्वीकार किया [illegible] जवाब न-दावा पेश करने दिनांक 29/4/22 को पेश हो। SDM	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

14/3/24

पत्रावली पेश ... 14/3/24

साविक आदेश दिनांक 2/4/24 ......उपस्थित।
की पालना में पत्रा. की वास्ते ...[illegible]...
दिनांक 8/4/24 ...... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

8/4/24

पेश ....उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 3/4/24
की पालना में पत्रा. की वास्ते ....[illegible]....
दिनांक 30/4/24 ...... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

30/4/24

वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में संक्षिप्त तथ्य के के इस प्रकार से है कि विवादित आराजी ग्राम [illegible] तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार श्री [illegible] से अपने-2 हिस्से पर जोतते बोते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिस पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु गैरसायल नं-1 के नाम उक्त विवादित आराजी चली आ रही है जबकि सायलान के हकीकी प्रतिवादी संख्या-[illegible] के वारिसान हैं और उनका [illegible] नियम के तहत [illegible] भी (कोई) [illegible] प्राप्त है [illegible] सायलान [illegible] के नकलीकी प्रति० [illegible] प्राप्त करने के अधिकारी है। गैरसायल नं-1 [illegible] की [illegible] महिला है जो विवादित आराजी अपने नाम होने के कारण अपने पौत्री व पौत्र सायलान [illegible] का नकलीकी प्रति० सं० 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहे है। एक दूसरा कोन व सुविधा का सन्तुलन एवं न प्रति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु आवेदक के पक्ष में बखूबी साबित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] साबित होने के कारण स्वीकार कर नोट आवेदक [illegible] दावा मौसल अस्थाई निषेधाज्ञा जो पारित किया जाता है कि ~~[illegible]~~ को आराजी खसरा नम्बर 288, 298, 294, 267, 393/1461, 548, 308 313 वाके ग्राम [illegible] तहसील [illegible] में आवेदक एवं दावा के बटवारे प्रतिवादी गण ने के हिस्से को जोतने बोने काटने लेने में कराया व मजाहमत पैदा न करे जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें रिकॉर्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मौसल [illegible] दर्ज रजिस्टर से कायम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। हुक्म SDO [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खरीद शुदा आराजी को खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और सायलान को भी किसी प्रकार की हानि होती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। सायलान ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2046 से 49 चार साला खसरा पेश की जो शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली के समस्त प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व उभय पक्षों की बहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसपर वादी वर्ग को अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। गैरसायलान विवादित आराजी ~~[illegible]~~ को किसी और लोगों का हस्तान्तरण करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा ना किया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति हरहालत में नहीं है इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है, पत्रावली के समस्त सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। सायलान ने अपने प्रार्थना-पत्र [illegible] जमाबंदी हाल पेश की जिसके अवलोकन [illegible] ऐसा कोई [illegible] पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित [illegible] आराजी खरीद शुदा आराजी [illegible] सायलान को गैरसायलान से किस तरह को नुकसान हो रहा है अदालत के समक्ष साबित नहीं है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया तो सायलान अपार हानि व क्षति होना संभव है। ~~[illegible]~~ सायलान अपने प्रार्थना पत्र पर RTI को लक्षित करने में सफल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को जोतने बोने के मजाहमत व रूकावट पैदा
करती है कब्जे से बेदखल करने को उतारू है
व पेला निज चलाकी देती है जो विवादित आराजी
मेरे नाम है चौं मैं इसे सायलान व चारा
के तलबीद प्रतिवादी सं०-7 को जोतने बोने
नहीं दूंगी किसी किस्म दखलियो को रहन पाय
मुन्तकिल कर दूंगी गैर सायला अपनी उक्त
धमकी व इरादे में कामयाब हो गयी तो वादीगण
सायलान व तर. प्रति० संख्या-7 को क्षति
होगी जिसकी क्षति किसी प्रकार से सम्भव नहीं
हो सकेगी, प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन
भी सायलान के हक में बखूबी साबित है।
अतः सायलान ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर
गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द करने
का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर
की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब
किया गया। वकील गैरसायल ने जवाब प्रस्तुत
कर प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते
हुये कथन किया कि सायलान ने अपने
प्रार्थना-पत्र में तमाम तथ्य गलत एवं मिथ्या
दर्ज कराये है सही तथ्य इस प्रकार से है कि
विवादित आराजी को गैरसायलान ने जरिये
रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10-11-2019 को
खरीद की है। जिसकी गैरसायलान सं०-1 खरीद
शुदा खातेदार काश्तकार है। आराजी
मुतनाजा पैतृक नहीं है बल्कि गैरसायलान [illegible]
की खरीद शुदा आराजी है। गै[illegible]
नम्बर-1 की आराजी [illegible]
रहन काश्त कर रही [illegible]
गलत है कि सायलान गैरसायलान नम्बर 1
की खरीद शुदा आराजी मुतनाजा में
किसी प्रकार का वाद कर उनको अधिकार
प्राप्त हुये हैं, क्योंकि आराजी गैरसायलान नम्बर
की खरीद शुदा आराजी है। जिसपर जोतने जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested